तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.3.22	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 23/2/22 के द्वारा अभियोगी/वादी तलबी न दिये जाने के संबंध में दाखिल M.D. पर तलबी/तलबाना पेश करने की हिदायत की गयी है परन्तु वादी द्वारा आदेश की पालना में अभियोगी/वादी तलबी आदिमांड तक पेश नहीं की गई है। इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है अतः वाद वादी 09 R5 CPC के प्रावधानों के तहत अदम तामील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद डी एड वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04.03.22